

संख्या-2120/20
26/10/20

26/10/20

रजिस्टर्ड/जनसूचना
संख्या-2120 पी0पी0/26-71/2020

प्रेषक,

डा0 राजीव श्रीवास्तव
जनसूचना अधिकारी/उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी उ0प्र0
807 जवाहरभवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।

सेवा में

जनसूचना अधिकारी/
क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी
बी-74 जिगर कालोनी मुरादाबाद

मद्यनिषेध विभाग

लखनऊ

दिनांक 26 अक्टूबर 2020

विषय : जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

श्री [REDACTED] का संलग्न आवेदन दिनांक 19 अक्टूबर 2020 (पंजीकरण संख्या-61) जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-6 (1) के अधीन सूचना मांगी जा रही है, प्राप्त करने का कष्ट करें।

उपर्युक्त आवेदन आपको अंतरित किया जा रहा है क्योंकि मांगी गयी सूचना के क्रमांक-1 से 3 की विषयवस्तु आपके कार्यालय के क्षेत्राधिकार में पडती है। अतः आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक ने उक्त अधिनियम के अधीन सूचना प्राप्त करने के लिए रू0 10.00 (रू0 दस मात्र) फीस के रूप में भुगतान किया है जिसे सरकारी लेखा में जमा कर दिया गया है। फोटो प्रति उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है अतः नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय

26/10/20

(डा0 राजीव श्रीवास्तव)
जनसूचना अधिकारी/
उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

संख्या-2120(1) पी0पी0/26-71/2019 तदिनांक

प्रतिलिपि- श्री [REDACTED] को उनके पत्र दिनांक 19.10.2020 के क्रम में अवगत कराना है कि आपका उपरोक्त पत्र संबंधित जन सूचना अधिकारी को अंतरित कर दिया गया है।

26/10/20

(डा0 राजीव श्रीवास्तव)
जनसूचना अधिकारी/
उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी
उत्तर प्रदेश

26/10/20

26/10/20